न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 03/2010/अपील

नारूराम पुत्र स्व0 रुगनाथ जाति अहीर निवासी कोटड़ी लुहारवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 गुलाबी पत्नी औमप्रकाश जाति अहीर निवासी पुरा की ढ़ाणी तन कोटड़ी लुहारवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

2 रूघनाथ पुत्र प्रभात जाति अहीर निवासी कोटड़ी लुहारवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

3 नायब तहसीलदार उप तहसील खण्डेला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 19.09.2008 मु.न. 320/2008 अनुवानी सरकार बनाम गुलाबी द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला

वकील अपीलांट श्री सन्तोष कुमार

वकील रेस्पोडेंट श्री मोहन सिंह

निर्णय **दिनांकः–13.12.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलान्ट का पिता रूघनाथ था। उसका देहान्त हो गया तथा प्रार्थी की माता बरजी का भी देहान्त हो गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बरजी के जायन्दा पुत्र है और इनकी छोड़ी हुई चल व अचल सम्पति व कृषि भूमियों पर काबिज है और स्व0 रुगनाथ व बरजी के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 कानूनी वारिस है तथा कृषि भूमियों का बतोर खातेदार व काश्ताकार के काश्त कर रहे है। स्व0 रूघनाथ व स्व0 बरजी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृर्षि भूमियां खसरा नम्बर 1554, 1559, 1560, 1651, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572 ग्राम कोटड़ी लुहारवास तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे अवस्थित है। इन आरजियात को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 काश्त करते है व काबिज है। उक्त आराजियात मे से खसरा नम्बर 1577/4184, 1577 तथा 1527/4184 ग्राम कोटड़ी लुहारवास मे अवस्थित है। यह दोनो आराजियात व अपीलान्ट की दोनो आराजियात के पास अपीलान्ट के कब्जे, काश्त व खातेदारी की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 1554, 1571, 1572 की सींवाजोड़ आराजियात है। परन्तु अधिनस्थ नायब तहसीलदार, खण्डेला ने भूमि खसरा नम्बर 1527/4134 रकबा 0.42 हैक्टर भूमि पटवारी हल्का कोटड़ी लुहारवास तथा रेस्पोडेन्ट संख्या की गलत रिपोर्ट तथा गलत कथन के आधार पर विवादित 0.42 है0 भाग को जो अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि का भाग 1527/4184 का भाग मानकर रेस्पोडेन्ट संख्या एक गुलाबी को बेदखल करने का आदेश दिनांक 19.08.2008 को पारित कर दिया। हल्का पटवारी ने अपीलान्ट से नाराज होकर रेस्पोडेन्ट संख्या एक से मिलकर गुलाबी का कब्जा बतलाकर बेदखली का आदेश पारित करा लिया, जब कि विवादित रकबा 0.42 है0

अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि का भाग है व अपीलान्ट व उसके भाई प्रभात का ही कब्जा है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक का कब्जा विवादित भूमि पर कभी नही रहा और न वर्तमान में कब्जा हैं। वास्तविक कब्जा 0.42 है0 पर अपीलान्ट व उसके भाई प्रभात का कब्जा है और वही अपने पिता के जीवन काल से काबिज है व काश्त करते आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चुनौतिग्रस्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई लिखिल व मौखिक सूचना नही दी गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य नायब तहसीलदार खण्डेला द्वारा प्रकरण संख्या 320/2008 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2008 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांटान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांटान स्वयं उपस्थित आई एवं उक्त नोटिस के सम्बंध में जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत जवाब को रिकार्ड पर लिया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांटान द्वारा ग्राम कोटड़ी लुहारवास के खसरा नम्बर 1527/4184 किस्म गै.मु.नदी में से 0.42 है0 पर बाजरा काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांटान द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांटान का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिकमित भूमि की किस्म गै. मु.नदी है। जिस पर अपीलांटान को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः गै.मु.नदी की भूमि पर अपलांटान द्वारा बाजरा काश्त कर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 19.09.2008 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांटान खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/12/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Prakash Narayan

Date: 2019.12.13 18:12:54 IST

Reason: SelfAttested

Location: